न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/170/2025 दायर दिनांक 21.11.2025 रजि0 न0 2025/400

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री किशन पुत्र भोजाराम, नि० पीपला वाला मौहल्ला, अम्बेडकर पार्क के पास, कठूमर, अलवर (राज०)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 29.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 08.12.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी का जवाब पत्र क्रमांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2170 दिनांक 10.12.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में की गई अपील किस आवेदन के परिपेक्ष्य में की गई है, कि प्रति संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे पूर्ण विशिष्टियों के अभाव में जवाब भिजवाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
6. तथापि अपीलार्थी द्वारा अपील किस आवेदन के संबंध में की गई है, की आवेदन प्रति समय पर उपलब्ध कराने में असफल रहा है जिससे पूर्ण विशिष्टियों के अभाव में जवाब भिजवाया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 29.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर